MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

A Partnership for Collaboration, Growth and Excellence

MAJOR SD SINGH UNIVERSITY

(Established under U.P. ActNo. 12 of 2018)

Uttar Pradesh, India

Child Line Care Foundation

NGO

Bhikampura, Farrukhabad

This Memorandum of Understanding (Mou) is entered into
To promote mutual cooperation and collaboration between
Major SD Singh University and **Samagra Vikas Sansthan**.

DATE OF SIGNING

11 August 2026

समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन (MoU) आज दिनांक **11 अगस्त 2026** को निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है:

प्रथम पक्ष:

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई, मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश (जिसे इसके बाद 'प्रथम पक्ष' कहा जाएगा, जो संदर्भ के अनुकूल होने पर अपने उत्तराधिकारियों और असाइनी को शामिल करेगा)।

एवं

द्वितीय पक्ष:

चाइल्डलाइन केयर फाउंडेशन, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश (जिसे इसके बाद 'द्वितीय पक्ष' कहा जाएगा, जो संदर्भ के अनुकूल होने पर अपने उत्तराधिकारियों और असाइनी को शामिल करेगा)।

1. **प्रस्तावना (Preamble)**

   मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो शैक्षणिक सेवाओं के लिये देश भर में प्राख्यात है जिसकी राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई छात्रों में सामाजिक चेतना, नेतृत्व क्षमता और सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाइल्डलाइन केयर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश एक गैर–सरकारी सामाजिक संगठन (NGO) है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण और समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। दोनों पक्ष साझा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति और समाज कल्याण के कार्यों को गति देने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु सहमत हुए हैं।

2. **उद्देश्य (Objectives)**

   इस अनुबन्ध – ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थाओं के संसाधनों, ज्ञान और जनशक्ति (विशेषकर NSS स्वयंसेवकों) का सकारात्मक उपयोग करके जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य चेतना, बाल अधिकार संरक्षण एवं सामुदायिक विकास आदि गतिविधियों का प्रभावी संचालन करना है।

3. **सहयोग के मुख्य क्षेत्र (Areas of Cooperation)**

   दोनों पक्ष निम्नलिखित सामाजिक सेवा गतिविधियों में संयुक्त रूप से सहयोग करेंगे:

- **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, और व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

न्यासी/अध्यक्ष
चाइल्डलाइन केयर फाउण्डेशन
उत्तर प्रदेश (भारत)

- **महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकासः** महिलाओं और बालिकाओं के लिए आत्मनिर्भरता, कौशल विकास (Skill Development), कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य व मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) पर कार्यशालाएं आयोजित करना।
- **बाल अधिकार एवं बाल कल्याण (Child Rights & Child Welfare):** बच्चों के मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जन–जागरूकता फैलाना, बाल श्रम (Child Labour), बाल विवाह, बाल शोषण और बाल भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ विशेष अभियान व रैलियां संचालित करना, तथा समाज के वंचित बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना।
- **सड़क सुरक्षा अभियान (Road Safety Campaign):** आम जनमानस और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हेलमेट व सीटबेल्ट के प्रयोग, गति सीमा, और सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशालाओं व रैलियों का आयोजन करना।
- **नशा मुक्ति जागरूकता (De-addiction Awareness):** समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियानों, परामर्श सत्रों (Counselling) और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
- **वृद्धजन सेवा एवं सहायता (Elderly Care & Assistance):** वृद्धाश्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, भावनात्मक सहयोग और उनके कल्याण के लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन करना।
- **विलेज चौपाल (Village Chaupal):** ग्रामीण क्षेत्रों में 'विलेज चौपाल' का आयोजन करना, जिसके माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को समझना, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करना और सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना।
- **पर्यावरण संरक्षणः** क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण जागरूकता, और प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चलाना।
- **शिक्षा एवं साक्षरताः** समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र, बाल शिक्षा जागरूकता और आवश्यक शिक्षण सामग्री का वितरण।
- **आपदा प्रबंधन एवं जन जागरूकताः** किसी भी आपातकालीन स्थिति या राष्ट्रीय आपदा के समय राहत कार्यों में पारस्परिक सहयोग और समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ जन जागरूकता रैलियों व नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।

4. पक्षों के उत्तरदायित्व (Responsibilities of the Parties)

4.1 प्रथम पक्ष NSS इकाई मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रूखाबाद उ0प्र0 के उत्तरदायित्वः

- सामाजिक गतिविधियों, शिविरों और सर्वेक्षणों के सफल संचालन के लिए अनुशासित NSS स्वयंसेवकों (छात्रों) और संकाय समन्वयकों (Faculty Coordinators) की भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- विश्वविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रारंभिक बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक स्थान और बुनियादी सुविधाएं (यदि आवश्यक हो) प्रदान करना।

न्यासी/अध्यक्ष
गाइडलाइन केयर फाउण्डेशन
उत्तर प्रदेश (भारत)

- समाज कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को विश्वविद्यालय के वार्षिक शैक्षणिक और NSS कैलेंडर के अनुसार संयोजित करना।

4.2 द्वितीय पक्ष (चाइल्डलाइन केयर फाउंडेशन) के उत्तरदायित्व:

- जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और उन क्षेत्रों/गांवों की पहचान करना जहां सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य शिविरों के लिए डॉक्टरों, चिकित्सा टीमों, दवाइयों और अन्य आवश्यक तकनीकी या सामाजिक संसाधनों की व्यवस्था करना।
- क्षेत्र (Field) में काम करने के दौरान छात्रों/स्वयंसेवकों को आवश्यक मार्गदर्शन, सुरक्षात्मक वातावरण और field support प्रदान करना।
- संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र (Certificates) प्रदान करना।
- समझौता ज्ञापन में प्रदर्शित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु NSS स्वयंसेवकों के साथ कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वन करना तथा विशेष आवश्यकतानुसार अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वन करना।

5. वित्तीय व्यवस्था (Financial Arrangements)

- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली सामान्य गतिविधियों और स्वयंसेवकों की सेवाओं के लिए कोई अनिवार्य वित्तीय बाध्यता नहीं होगी।
- विशिष्ट परियोजनाओं, विशेष शिविरों या बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए आवश्यक बजट और खर्चों का निर्धारण दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लिखित रूप में अलग से तय किया जाएगा।

6. अवधि एवं समापन (Duration and Termination)

- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तिथि से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति से इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- कोई भी पक्ष तीन महीने पहले लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि उस समय चल रही किसी भी गतिविधि या छात्र कार्यक्रम के सुचारू समापन में बाधा न आए।

7. विवाद निवारण (Dispute Resolution)

इस समझौते के क्रियान्वयन, व्याख्या या संचालन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद को दोनों पक्षों के प्रमुखों (विश्वविद्यालय के प्राधिकृत अधिकारी/NSS समन्वयक और चाइल्डलाइन केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष–प्रबन्ध न्यासी) द्वारा आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

Laxmi Devi Pal

न्यासी/अध्यक्ष
चाइल्डलाइन केयर फाउण्डेशन
उत्तर प्रदेश (भारत)

पक्षों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatories):

विलेख के साक्ष्य के रूप में, दोनों पक्षों ने ऊपर उल्लिखित तिथि और वर्ष को अपने–अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रथम पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर :
नाम : डॉ0 पी0एन0 प्रसाद
पद : रजिस्ट्रार
विभाग / संस्था : मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उ0प्र0 209749

द्वितीय पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर : Laxmi Devi Pandey 11-08-2026
नाम : लक्ष्मी पाण्डेय
पद : अध्यक्ष–न्यासी
विभाग / संस्था : चाइल्डलाइन केयर फाउंडेशन, कटरा नुनहाई स्ट्रीट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 209625
ईमेल : childlinecarefoundation@gmail.com
मो0 : 9044769843

दिनांक : 11.08.2026
स्थान : फर्रूखाबाद उ0प्र0

साक्षी (Witnesses):

1. हस्ताक्षरः : डॉ0 पुष्पेन्द्र यादव, एसोसिऐट प्रोफेसर, मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उ0प्र0 209749
2. हस्ताक्षरः : अल्ताफ अली, न्यासी, चाइल्डलाइन केयर फाउंडेशन, फर्रूखाबाद उ0प्र0

Laxmi Devi Pandey 11-08-2026
न्यासी/अध्यक्ष
चाइल्डलाइन केयर फाउण्डेशन
उत्तर प्रदेश (भारत)